R. M. M Law College, Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher

Sub- Evidence

प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिक साक्ष्य

किसी साक्ष्य के दो भेद होते हैं—

(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य (2) परिस्थितिक साक्ष्य (Circum- stantial Evidence) किसी तथ्य के विषय में जब कोई साक्षी अपने निजी ज्ञान के आधार पर कथन करता है या कोई वस्तु या दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश करता है तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है।

दूसरा हर प्रकार का साक्ष्य परिस्थिति साक्ष्य कहा जाता है। यह साक्ष्य भी दो कोटियों में विभाज्य है। प्रथम निश्चायक (conclusive) होता है। दूसरा वह जिससे किसी तथ्य की यथार्थता की उपधारणा (presumption) मात्र की जा सके। जिस साक्ष्य की सहायता से विवाद्यक तथ्य और साबित किये गये तथ्यों का सम्बन्ध प्राकृतिक नियमों के अनुसार अवश्यम्भावी प्रतीत हो, वह साक्ष्य निश्चायक साक्ष्य की कोटि में आता है।

जिस साक्ष्य से विवाद्यक तथ्य की अस्तित्व सम्भावना होती हो वह उसकी श्रेणी में आता है। सम्भावना चाहे कितनी ~~कम~~ कम या अधिक मात्रा में रहे।

प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थिति साक्ष्य दोनों साक्ष्य होने के नाते एक समान ही है दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। यदि इनमें कोई भेद है तो यह कि पहला तो विवाद्यक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित करता है। किन्तु दूसरे विशेष परिस्थितियों के सबूत के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

इन दोनों प्रकार के साक्ष्यों के भेद को एक साधारण दृष्टान्त से सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे "क" के ऊपर यह आरोप लगे कि उसने "ख" पर लाठी प्रहार किया उसे चोट पहुंचायी। "ग" "र" "ल" "व" यह बयान देता है कि क के ऊपर लगे आरोप को अपनी आंखों से देखा है फलस्वरूप "ख" को चोट आयी। यही प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा। किन्तु घटनास्थल पर यदि कोई उपस्थित ही नहीं था तब परिस्थिति वश साक्ष्य होगा।